

विवरण

03-09-2020

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार गौहर को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार के पिता संदीप द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम समसैरा, खाता सं 251 वर्ष 1994-95 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान संदीप ठकुरा ने अपना लिखित दाय मी. भावैजन द्विया है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी II में संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार खं खैसरा संख्या दर्ज नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि गौहर उरांव, पिता - बीआस उरांव, ग्राम - समसैरा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	धाना संख्या	खाता संख्या	खैसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
<u>समसैरा</u>	<u>67</u>	<u>251</u>	<u>—</u>	<u>5.6175</u>

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड रौंची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के आधार पर उपरोक्त जमाबन्दी को निरस्त किया जाता है।

लेखापित  
५/०३/०९/२०२०  
 अंचल अधिकारी,  
 बोलबा।

५/०३/०९/२०२०  
 अंचल अधिकारी,  
 बोलबा।